मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग

क्रमांक 71/04/2011/चयन इन्दौर, दिनांक 08.08.2013

चयन परिणाम

(याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 7026/2011 रामेश्वर चौहान विरूद्ध म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अन्य तथा रिट अपील क्र. 255/2012 म0प्र0 लोक सेवा आयोग विरूद्ध रामेश्वर चौहान एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा दिनांक 19.06.2013 को पारित निर्णय के परिपालन के अधीन)

आयोग के विज्ञापन क्रमांक 03/चयन/2008/दिनांक 29.12.2008 के अंतर्गत स्कूल शिक्षा विभाग के तहत् उप संचालक, लोक शिक्षण के कुल 09 पद (अनारक्षित–04, अ.जा.–01, अ.ज.जा.–02 एवं अ.पि.वर्ग–02) जिसमें से महिला आवेदकों के लिए अनारक्षित–01, अ.जा.–निरंक, अ.ज.जा.–निरंक व अ.पि.वर्ग–01 पद) विज्ञापित किये गये थे । उक्त पदों की पूर्ति के लिए उप संचालक, लोक शिक्षण लिखित परीक्षा–2008 दिनांक 23.01.2011 को आयोजित की गई थी । लिखित परीक्षा में अर्ह आवेदकों के साक्षात्कार दिनांक 29 एवं 30 अगस्त, 2011 को आयोजित किये जाने के उपरांत अंतिम चयन परिणाम क्रमांक 637/04/2011/चयन दिनांक 01.09.2011 के माध्यम से जारी किया गया था ।

2/ याचिका क्रमांक डब्ल्यू.पी. 7026/2011 रामेश्वर चौहान विरूद्ध म0प्र0 लोक सेवा आयोग एवं अन्य तथा रिट अपील क्र. 255/2012 म0प्र0 लोक सेवा आयोग विरूद्ध रामेश्वर चौहान एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ इन्दौर द्वारा दिनांक 19.06.2013 को पारित निर्णय के परिपालन में याचिकाकार अभ्यर्थी श्री रामेश्वर चौहान का साक्षात्कार दिनांक 06.08.2013 को आयोजित किया गया ।

3/ साक्षात्कार उपरांत मेरिट गुणानुक्रम में उक्त याचिकाकार अभ्यर्थी का चयन परिणाम निम्नानुसार घोषित किया जाता है :–

मुख्य सूची

S.NO.	ROLL	NAME	SEX	चयन की स्थिति व मुख्य सूची में वरिष्ठता क्रमांक
1	10029	रामेश्वर चौहान	M	दिनांक 01.09.2011 को जारी चयन परिणाम में निर्धारित वरिष्ठता स.क्र. 6 के बाद 6 ए पर श्री रामेश्वर चौहान की वरिष्ठता संस्थित की जाती है ।

टीप :–

"चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान मे आती है तो आयोग को चयन परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है ।"

(डॉ. मधु खरे)
सचिव